राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

(सांवली रोड़, सीकर–332001, **Ph. No. 01572-274094, email : dcf.sikar.forest@rajasthan.gov.in, dcfsikar@gmail.com)**

क्रमांक : एफ ( )एफसीए/उवसंसी/2020–21/ 9415 दिनांक : 15/09/21

निमित:–

मुख्य प्रबंधक,
सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड
सीकर।

विषयः–Construction of Sikar-II- Neemrana 400 KV D/C Transmission line, (Twin HTLS)Dist- Sikar, Jhunjhunu, Jaipur and alwar(Raj) Total Route Length 134.810 In Rajasthan Portion Route length 126.290 KM.
(Proposal no. **FP/RJ/TRANS/143945/2021**)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित वन भूमि डायवर्जन प्रस्ताव संख्या **FP/RJ/TRANS/143945/2021** क्षेत्र 12.2636 है0 के प्रस्ताव के साथ संलग्न जी.टी. शीट नक्शे, के.एम.एल फाईल, खसरा जमाबंदी, खसरा नक्शा, जी.पी.एस कोर्डिनेट्स के संबंध में प्रस्तुत पत्रादि एवं ऑनलाईन उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन इस कार्यालय स्तर पर किया गया। अवलोकन पर प्रस्ताव में निम्न कमियां पाई गई है–

1. उक्त डायवर्जन प्रस्ताव में प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन सीकर जिले में ग्राम किशनपुरा से शुरू कर झुन्झुनू, जयपुर व अलवर जिले की सीमा में सीकर जिले के वनखण्ड खंडेला, बालवाड़ चौकड़ी, गांवड़ी, खड़कबीजपुर, डोकन, पाटन, धांधेला, करजो, बल्लुपुरा 'ए', मीना की नांगल के निकट से/अंदर से प्रस्तावित है। प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन की के.एम.एल फाईल, जीटी शीट नक्शा, खसरा नक्शा आदि में मार्क ट्रांसमिशन लाईन के साथ सीकर जिले के वनखण्डों की वन सीमा वन बंदोबस्त नक्शों की वन सीमा लाईन के अनुसार सही मार्क नहीं की गई है। अनुमानित मार्क की गई है। ऐसी स्थिति में के.एम.एल फाईल, जीटी शीट नक्शे व खसरा नक्शे पर वन सीमा का सही सीमांकन नहीं है। जिसके कारण वन क्षेत्र की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। सही वन सीमा की मार्किंग वन बंदोबस्त नक्शों के अनुसार करावें।
2. उक्त प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन को जी.टी. शीट नक्शे पर 1:50000 के स्केल पर मार्क नहीं किया गया है। जी.टी. शीट नक्शे पर प्रस्तावित लाईन के पास वनखण्ड खंडेला, बालवाड़ चौकड़ी, गांवड़ी, खड़कबीजपुर, डोकन, पाटन, धांधेला, करजो, बल्लुपुरा 'ए', मीना की नांगल की सीमा लाईन आती है। जिसको जीटी शीट नक्शे 1:50000 के स्केल पर मार्क कर प्रस्तुत करें।
3. उक्त प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन की के.एम.एल फाईल पोलीगन शेप में तैयार नहीं की गई है। के. एम.एल फाईल में प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन की मध्य की लाईन को ही दिखाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तावित ट्रासंमिशन लाईन की चौड़ाई स्पष्ट नहीं होती है।

अतः उपरोक्त कमियों की पूर्ति अविलम्ब करावें।

भवदीय,

(भीमा राम चौधरी)
उप वन संरक्षक,
सीकर